भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2435

10 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भुवनेश्वर-कटक-पुरी गलियारे में एमआरटीएस

2435 श्री शुभाशीष खुंटियाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भुवनेश्वर-कटक-पुरी गलियारे में अर्ध-उच्च गति रेल या मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) के विकास हेतु कोई अध्ययन किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) गलियारे हेतु अनुमानित यात्री मांग और यातायात आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परिवहन प्रणालियों के विकास हेतु प्राप्त या जांचे किए गए प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 'शहरी नियोजन' राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एमआरटीएस (मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) या आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) परियोजनाओं की आयोजना, इन्हें शुरू करने और इनके विकास के लिए उत्तरदायी हैं। केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मेट्रो/आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार करती है। वर्तमान में, ओडिशा राज्य सरकार द्वारा भुवनेश्वर-कटक-पुरी कॉरिडोर के लिए एमआरटीएस अथवा आरआरटीएस कनेक्टिविटी की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) इस मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की गई है।
